कुल पृष्ठ संख्या–32 (कवर पेज सहित)

क्रम संख्या....

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

उच्च माध्यमिक परीक्षा

(परीक्षार्थी द्वारा भरा जाना चाहिये)

Candidate's Roll No. In English

(In Figures)

(In Words) ....

परीक्षार्थी का नामांक हिन्दी में

शब्दों में ....

नोट :– परीक्षार्थी उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भी भाग में अपना नामांक नहीं लिखें।

माध्यम – हिन्दी ✓ अंग्रेजी

विषय .... व्यवसाय अध्ययन (Business studies)

परीक्षा का दिन ....

दिनांक ....

नोट :– परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लेखित हैं। जिन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ लें व पालना अवश्य करें।

परीक्षक हेतु निर्देश – (1) परीक्षक को उपरोक्त सारणी अनुसार प्राप्तांक भरना अनिवार्य है, अन्यथा नियमानुसार दंडित किया जायगा।

(2) परीक्षक उत्तर पुस्तिका के अन्दर के पृष्ठों के बायें ओर निर्धारित कॉलम में लाल इंक से अंक प्रदत्त करें।

(3) कुल योग भिन्न में प्राप्त होने पर उसे पूर्णांक में ही परिवर्तित कर अंकित करें (उदाहरणार्थ 15 ¼ को 16, 17 ½ को 18, 19 ¾ को 20)

प्रश्नवार प्राप्तांकों की सारणी
(परीक्षक के उपयोग हेतु)

प्रश्नों की क्रम संख्या	प्राप्तांक	प्रश्नों की क्रम संख्या	प्राप्तांक
1		19	
2		20	
3		21	
4		22	
5		23	
6		24	
7		25	
8		26	
9		27	
10		28	
11		29	
12		30	
13		31	
14		योग	
15		प्राप्त अंकों का कुल योग (Round off)	
16		अंकों में	शब्दों में
17			
18			

परीक्षक के हस्ताक्षर

परीक्षक नामांक

प्रमाणित किया जाता है कि इस उत्तर पुस्तिका के निर्माण में 58 जी.एस.एम. ओपेक्यू कागज का ही प्रयोग में लिया गया है। 164/2018

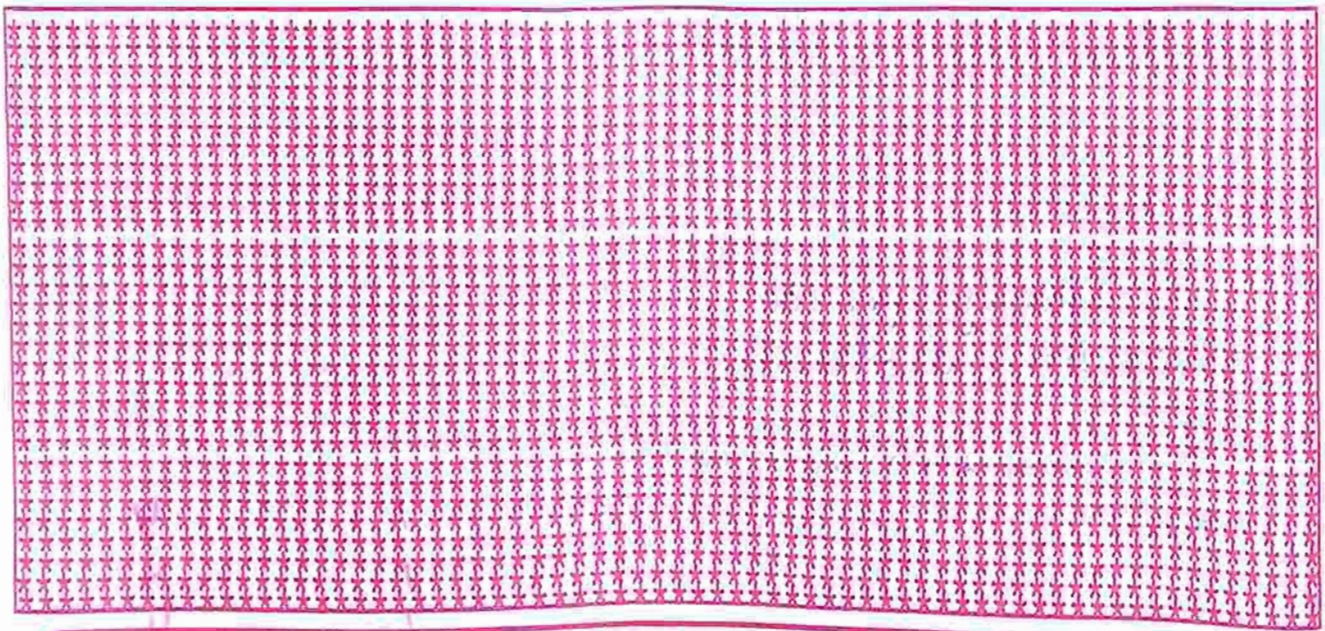

परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

1. समस्त प्रश्नों का हल निर्धारित शब्द सीमा में इसी उत्तर पुस्तिका में करना है। विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका पृथक से उत्तर पुस्तिका भरी हुई होने पर पर्यवेक्षक एवं वीक्षक की अनुशषां पर ही उपलब्ध कराई जायेगी।
2. प्रश्न–पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नामांक लिखें।
3. प्रश्न–पत्र हल करने के पश्चात् जिस पृष्ठ पर हल समाप्त होता है, उस पर अन्त में "समाप्त" लिखकर अन्त के सभी रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाईन से काटें।
4. निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें अन्यथा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।
   (i) उत्तर पुस्तिका के ऊपर/अन्दर तथा प्रश्नोत्तर के किसी भी भाग में चाही गई सूचना के अलावा अपना नामांक, नाम, पता, फोन नम्बर अथवा पहचान की कोई अन्य प्रकार की सूचना आदि अंकित नहीं करें अन्यथा "अनुचित साधनों के प्रयोग" के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
   (ii) उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों को फाड़ें नहीं। उत्तर–पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर अंकित संख्या के अनुसार पृष्ठ पूरे होने चाहिये। परीक्षार्थी उत्तरपुस्तिका प्राप्त करते ही पृष्ठ संख्या की जांच कर लें यदि पृष्ठ कम/अधिक या क्रम में नहीं हैं तो वीक्षक से तुरन्त बदलवा लें।
   (iii) परीक्षा केन्द्रों पर पुस्तक, लेख, कागज, केलक्यूलेटर, मोबाईल, पेजर आदि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोनिक उपकरण तथा किसी भी प्रकार का हथियार आदि ले जाना निषेध हैं।
   (iv) वस्त्र, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स पर कुछ न लिखकर लावें। टेबुल के आस–पास कोई अवैध सामग्री नहीं होनी चाहिये, इसकी जांच कर लें।
   (v) अपनी उत्तर पुस्तिका/ग्राफ/मानचित्र आदि परीक्षा भवन से बाहर ले जाना दण्डनीय अपराध है, अतः परीक्षा समाप्ति पर उत्तर पुस्तिका वीक्षक को बिना सौंपे परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ें।
5. उत्तरों को क्रमानुसार एक ही स्थान पर लिखें। प्रश्न क्रमांक भी सही अंकित करें, अन्यथा दण्ड स्वरूप परीक्षक को 1 अंक कम करने का अधिकार है। बीच में उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ रिक्त न छोड़ें। गणित विषय के लिए रफ कार्य उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठों पर करें तथा तिरछी रेखा से काटें।
6. जहाँ तक हो सके प्रश्न के सभी भाग के उत्तर, उत्तर पुस्तिका में एक ही स्थान पर अंकित करें।
7. भाषा विषयों को छोड़कर शेष सभी विषयों के प्रश्न–पत्र हिन्दी–अंग्रेजी दोनों भाषा में मुद्रित है। किसी भी प्रकार की त्रुटि/अन्तर/विरोधाभास होने पर हिन्दी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाये।

कि द्वारा प्राप्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

{खण्ड - अ}

1. उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के प्रतिपादक पीटर एफ. ड्रकर है।

2. प्रबंध का सामाजिक उद्देश्य है कि वह समाज की इच्छानुसार उत्पादन करके उसे गुणवत्तापूर्ण व सही कीमत पर वस्तु उपलब्ध करवाये।

3. अनुबंध में प्रतिफल का आशय 'कुछ के बदले कुछ' से है अर्थात् वचनदाता के वचन के बदले वचनग्रहीता द्वारा चुकाया गया मूल्य।

4. किसी भी वैध अनुबंध जो कि राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय है, उसमें प्रतिफल भी वैध अर्थात् कानूनी दृष्टि से मान्य होना आवश्यक है। यदि प्रतिफल ही अवैध है तो अनुबंध वैध नहीं हो सकता।

5. उद्यमिता की विशेषता:

जोखिमपूर्ण क्रिया:

→ इस प्रक्रिया में उद्यमी अनेक प्रकार की जोखिमों को उठाकर व्यवसाय चालू करता है। नये उत्पाद का बाजारों में प्रवेश, मूल्य निर्धारण, नवाचार, ग्राहकों की रुचि, फैशन आदि की जोखिम उठाता है।

6. उद्यमिता के माध्यम से देश में रोजगारों का सृजन, प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग होता है तथा उद्यमिता से देश में पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है।

P.T.O.

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक | प्रश्न संख्या | परीक्षार्थी उत्तर

7. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना – 2015.

8. अल्प बीमा :-
→ जब किसी संपति का बीमा उसके मूल्य से कम मूल्य पर करवाया जाता है तो यह अल्प बीमा कहलाता है।

9. भारत में सेवा कर – 1 जुलाई, 1994.

10. सर्वप्रथम भारत में विक्रय कर – मध्यप्रदेश, 1938 में।

[खण्ड-ब]

11. प्रबंध की सूचनात्मक भूमिका :-
→

(i) प्रबोधक :-
→ इस भूमिका के रूप में एक प्रबंधक संस्था के विभिन्न स्त्रोतों से आवश्यक सूचना एकत्रित करता है ताकि संस्था के लिए आवश्यक नीतियों का निर्माण किया जा सके।

(ii) प्रवक्ता :-
→ इस भूमिका के रूप में प्रबंधक अपनी संस्था की नीतियों, कार्यक्रम, उद्देश्य आदि जानकारी को सरकार तथा लोगों व संबंधित लोगों को बताता है।

पृष्ठ

परीक्षार्थी उत्तर

12. पेशेवर प्रबंध की विशेषताएँ :-

(i) व्यक्तिगत स्वेच्छाचारिता के स्थान पर टीम भावना पर बल।
(ii) परिवर्तनों हेतु तैयार रहना व पेशेवर ज्ञान व तकनीक के प्रति पूर्ण समर्पित होना।

13. क्रय बिंदु विज्ञापन :-

→ यह विज्ञापन का ऐसा माध्यम है जिसमें दुकानदार, दुकान की वातायन या अलमारी तथा काउंटर आदि की सजावट करते हैं ताकि राह चलता ग्राहक उन सजी-धजी, आकर्षक वस्तुओं को देखकर उसे खरीदने के लिए प्रेरित हो। सामान्यतः कपड़े, खिलौनों आदि व्यापारों में इस तकनीक को काम लिया जाता है। काउंटर पर सजी वस्तुओं को समय-समय पर बदलते रहना चाहिए।

14. (i) निष्पादित अनुबंध :-

→ ऐसा अनुबंध जिसके अधीन पक्षकारों ने अपने-अपने दायित्वों को पूरा कर लिया है, निष्पादित अनुबंध कहलाता है। जैसे - राधा, कामिनी को कार के बदले एक स्कूटर देने का अनुबंध करती है। कामिनी ने राधा को कार दे दी तथा राधा ने उसे स्कूटर दे दिया।

(ii) निष्पादनीय अनुबंध :-

→ ऐसा अनुबंध जिसके अधीन पक्षकारों को अपने-अपने दायित्वों को पूरा करना बाकी है। जैसे - मोहिनी अमीना की भैंस 50,000 में खरीदने का अनुबंध करती है। ना ही तो अमीना ने अभी तक भैंस मोहिनी को दी व ना ही मोहिनी ने

P.T.O.

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक | प्रश्न संख्या | परीक्षार्थी उत्तर

उसे पैसे दिये।

15. कपटपूर्ण मिथ्यावर्णन :-

→ जब अनुबंध का एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को जानबूझकर अनुबंध के महत्त्वपूर्ण तथ्यों का मिथ्या वर्णन करे ताकि धोखे के द्वारा अनुबंध किया जा सके तो ऐसा अनुबंध कपटपूर्ण मिथ्यावर्णन माना जाता है।

○ जैसे :- इशिका, राधिका को एक पोशाक 15,000 में देने का अनुबंध कर लेती है जबकि वह पोशाक चोरी की हुई है तथा उसकी भी है तो इशिका द्वारा यह कपटपूर्ण मिथ्यावर्णन माना जाएगा।

16. हाँ, उद्यमिता एक अवसर खोजने की प्रक्रिया है जिसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है:-

अवसर खोजने की प्रक्रिया :-

→ उद्यमिता में उचित अवसरों, लोगों की रुचि, आवश्यकता, फैशन, प्राथमिकताओं आदि का पता लगाया जाता है जिसके अनुसार ही उपक्रम का संचालन किया जाता है।

○ जैसे :- किसी स्थानीय क्षेत्र में खाने हेतु होटल नहीं है तो उस क्षेत्र में टिफिन सेंटर खोलकर लोगों की आवश्यकता को संतुष्ट करना।

इस प्रकार उद्यमिता जनसमूह की आवश्यकता को खोजकर उसकी पूर्ति में योगदान देती है।

परीक्षार्थी उत्तर

17. हाँ, हम इस कथन से निम्न आधार पर सहमत हैं:-

बीमा सुरक्षा प्रदान करता है:-

→ बीमा, आर्थिक हानियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने वाली युक्ति है। बीमा के द्वारा व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में होने वाली धन संबंधी हानि के विरुद्ध सुरक्षा पा लेता है। जीवन बीमा में व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा, अग्नि बीमा में संपति को होने वाले नुकसान से सुरक्षा, समुद्री बीमा में जहाज, माल, भाड़ा आदि को हुये नुकसान से सुरक्षा तथा अन्य भी विविध प्रकार के बीमों में आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।

इस प्रकार की सुरक्षा प्राप्त होने के बाद व्यक्ति के विश्वास तथा उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है।

18. वस्तु व सेवा कर (Goods & Service Tax) की विशेषताएँ:-

(i) इसकर प्रणाली में करों की 4 दरें निर्धारित है:-
(a) सामान्य वस्तुओं के लिए मैरिट दर।
(b) आवश्यक वस्तुओं के लिए प्रमापित दर।
(c) कीमती धातु आदि के लिए विशेष दर।
(d) शून्य दर

(ii) राज्य के भीतर माल के क्रय-विक्रय पर CGST (केंद्रीय वस्तु व सेवा कर) तथा SGST (राज्य वस्तु व सेवा कर) दोनों की वसूली होगी तथा राज्य के बाहर माल के क्रय-विक्रय करने पर IGST (अंतर्राज्यी वस्तु व सेवा कर) जो केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाएगा।

P.T.O.

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक | प्रश्न संख्या | परीक्षार्थी उत्तर

खण्ड - स

19. (i) आदेश की एकता :-

→ यह सिद्धांत इस तथ्य या विचार पर जोर देता है कि एक संगठन में एक कर्मचारी को एक निश्चित समयावधि में एक ही उच्चाधिकारी से आदेश प्राप्त हो। अनेक उच्चाधिकारियों से एक साथ आदेश प्राप्त होने पर कर्मचारी भ्रमित हो जाता है तथा किसी भी कार्य को उचित ढंग से संपन्न नही कर पायेगा इससे संगठन में अव्यवस्था फैलेगी।

फेयोल के अनुसार, यदि इस सिद्धांत की अवहेलना की जाती है तो संगठन में परस्पर टकराव, संघर्ष, हितों की भिन्नता, अविश्वास आदि स्थितियाँ पैदा होगी।

(ii) निर्देश की एकता :-

→ फेयोल के इस सिद्धांत के अंतर्गत यह विचार है कि संगठन की वे सभी क्रियाएँ जिनका उद्देश्य एक समान हो एक ही अधिकारी व योजना के अंतर्गत रखी जानी चाहिए। यह सिद्धांत क्रियाओं के वर्गीकरण व समूहीकरण से संबंधित है। यह आदेश की एकता से भिन्न है। आदेश की एकता व्यक्ति के संगठनात्मक लक्ष्यों को परिलक्षित करती है जबकि यह सिद्धांत क्रियाओं का समूहीकरण करता है।

फेयोल ने निर्देश की एकता के लिए हास्यास्पद ढंग से कहा है कि "दो सिर वाला शरीर मानव जगत व पशु जगत में राक्षस माना जाता है"।

द्वारा	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

20. अग्नि प्रेरणा की x विचारधारा की मान्यताएँ :-

→ यह विचारधारा कर्मचारियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है :-

(i) कर्मचारी का आलसी होना :-

→ सामान्यतः एक कर्मचारी स्वभाव से आलसी माना जाता है तथा वह कार्य नहीं करना चाहता। वह काम के बजाय आराम को प्राथमिकता देता है तथा कार्य से जी चुराता है।

(ii) कर्मचारी का महत्त्वाकांक्षी न होना :-

→ कर्मचारी में संस्था के अच्छे के प्रति तथा नया कार्य करने के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण होता है, वह किसी भी प्रकार की सृजनात्मकता का धनी नहीं होता।

(iii) परिवर्तनों का विरोध करना :-

→ इस विचारधारा में शामिल कर्मचारी नयी तकनीक, नये शोध, आधुनिक युग में होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करने की बजाय उनका विरोध करते हैं।

(iv) दंड, प्रताड़ना आदि से नियंत्रित :-

→ इन नकारात्मक दृष्टिकोण वाले कर्मचारियों को नियंत्रित करने हेतु या इनमें भय पैदा करने हेतु दंड, प्रताड़ना आदि का सहारा लिया जाता है तथा ये कर्मचारी केवल अर्थ हेतु कार्य करते हैं।

(धन)

P.T.O.

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक | प्रश्न संख्या | परीक्षार्थी उत्तर

21. अभिप्रेरणा का महत्व :-

(i) कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि :- किसी भी संगठन में कार्यरत कर्मचारी को उचित प्रकार से अभिप्रेरित करने (वित्तीय या गैर-वित्तीय तकनीक द्वारा) के उपरांत उसके मन में अधिक कार्य करने के प्रति उत्साह उत्पन्न होता है क्योंकि वह अपने संगठन व कार्य दोनों से संतुष्ट हो जाता है। तब उसका ध्येय संगठन में लाभों में वृद्धि करना, उत्पादकता बढ़ाना व संस्था को सफलता की ओर अग्रसर करना होता है।

साथ ही, एक कर्मचारी अपने लाभों की तुलना संगठन के ही अन्य कर्मचारियों से करता है तथा लाभ अपेक्षाकृत अधिक होने पर वह अधिक संतुष्ट हो जाता है।

(ii) अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण :- सामान्यतः एक संगठन में यह मानकर चला जाता है कि कर्मचारी भी एक मनुष्य है तथा इसी दृष्टिकोण से उसके साथ भी मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। अभिप्रेरणा इसी विचार का अनुसरण करती है। एक प्रबंधक को संस्था के कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग, कर्मचारी को केवल कार्य स्थल पर ही नहीं अपितु उसके परिवार आदि को सहायता प्रदान करे।

एक कर्मचारी को अभिप्रेरित करने पर वह प्रबंधक व संस्था के प्रति निष्ठावान होता है व पूर्ण मनोयोग से कार्य करता है।

परीक्षार्थी द्वारा अंकित | प्रश्न संख्या | परीक्षार्थी उत्तर

22. सरकार के प्रति प्रबंधक के दायित्व :-

(i) करों का पूर्ण भुगतान :- संस्था को अपने कमाये गये लाभों का पूर्ण विवरण सरकार को देना चाहिए ताकि उस पर नियमानुसार निश्चित कर चुकाकर सरकार के कार्यों में प्रत्यक्ष योगदान दिया जा सके।

(ii) सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में सहायक :- सरकार द्वारा चलाये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम, आर्थिक नीतियों, योजनाओं को लागू करने में सरकार का पूर्ण यों सहयोग करना प्रबंधक का उत्तरदायित्व है।

(iii) सरकारी प्रक्रिया को भ्रष्ट न करना :- सरकार द्वारा देश के विकास हेतु चलाई गयी प्रक्रिया आदि को भ्रष्ट नहीं करना, एक प्रबंधक का उत्तरदायित्व होता है। प्रबंधक को सरकार के सहयोगी के रूप में उभरना चाहिए।

(iv) सरकारी नियमों का पालन करना :- सरकार द्वारा व्यावसायिक तथा अन्य किसी भी क्षेत्र में बनाये गये नियमों व कानूनों का पालन एक प्रबंधक को करना चाहिए तथा देश के समुचित विकास का लक्ष्य पूरा हो सके।

P.T.O.

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

23. अर्द्ध अनुबंध के प्रकार :-

(i) पागल या किसी अवयस्क व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करना :-

जब कोई भी पक्षकार किसी पागल या अवयस्क की आधारभूत आवश्यकताओं (रोटी, कपड़ा, मकान) की पूर्ति करता है तो वह पक्षकार, अयोग्य पक्षकार की संपतियों में से भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी है।
जैसे:- अमन एक पागल व्यक्ति है। उसका पड़ोसी दिनेश उसी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो दिनेश, अमन की संपतियों से भुगतान पाने का अधिकारी है।

(ii) अन्य पक्षकार की तरफ से स्वयं द्वारा किया भुगतान पाना :-

जब अनुबंध का एक पक्षकार जो संबंधित भुगतान करने के लिए वैधानिक रूप से उत्तरदायी नहीं था, असुविधा से बचने के लिए भुगतान कर देता है तो वह दूसरे पक्षकार से भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी है।

जैसे:- x ने y को पट्टे पर जमीन दे रखी है। सरकार ने x को जमीन का लगान चुकाने को कहा परंतु वह चुका नहीं पाया। y ने आजीविका संकट में देखकर स्वयं सरकार को लगान चुका दिया तो वह इस राशि (लगान) को x से पाने का अधिकारी है।

द्वारा अंक | प्रश्न संख्या | परीक्षार्थी उत्तर

24. उद्यमिता का महत्त्व :-

(i) पुंजी निर्माण को प्रोत्साहन :- उद्यमिता के अंतर्गत एक उद्यमी व्यवसाय की स्थापना के लिए जनसामान्य से पुंजी एकत्रित करने के लिए अंशपत्र, ऋणपत्र आदि का निर्गमन करता है तथा जनता को विनियोग करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार विनियोग की प्रवृत्ति बढ़ने से देश में बचत भी बढ़ती है। लगातार बचतों के बढ़ने से देश में पुंजी निर्माण को भी प्रोत्साहन मिलता है।

(ii) संतुलित आर्थिक विकास :- देश के संतुलित आर्थिक विकास में उद्यमिता का बहुत अधिक महत्त्व है। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों द्वारा उद्यमियों को उन क्षेत्रों में व्यापार करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है जो क्षेत्र पूर्णतः व्यावसायिक दृष्टि से पिछड़े हैं। उद्यमी इस प्रकार के अविकसित क्षेत्रों में व्यापार प्रारंभ करता है तथा देश के विकास में अपना योगदान देता है।

25. अग्नि बीमा :- बीमा के क्षेत्र व प्रकार के आधार पर वर्गीकृत बीमा का यह एक प्रमुख प्रकार है। यह एक प्रकार का क्षतिपूर्ति का बीमा है जिसमें केवल वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति की जाती है। आधुनिक व्यावसायिक क्षेत्रों में बढ़ते जोखिम, अनिश्चितता, संपत्ति की हानि, बड़े-बड़े मशीनों व

P.T.O.

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक | प्रश्न संख्या | परीक्षार्थी उत्तर

उत्पादक संयंत्रों को होने वाली हानि की जोखिम से बचने के लिए अग्नि बीमा का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया है। इसके साथ ही घरेलू क्षेत्रों में कीमती संपति के नुकसान से होने वाली हानि से सुरक्षा के लिए यह एक उपयुक्त बीमा है। इसमें संपति को आग लगने से होने वाली जो हानि का बीमा करवाया जाता है।

आधुनिक क्षेत्र में अग्नि से होने वाले नुकसान के साथ-साथ विस्फोट, दंगों, उपद्रवों आदि से संपति को होने वाले नुकसान के प्रति आश्वासित हुआ जाता है।

संपति को नुकसान होने पर बीमाकर्ता पूर्ण जाँच आदि करने के पश्चात ही केवल वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति करता है तथा बीमित को इसके लिए निश्चित प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। यह 1 वर्षीय बीमा है।

Q6. ग्राहकों के प्रति 4 सामाजिक दायित्व :-

(i) उचित मूल्य पर वितरण :- → प्रबंधक को समाज को सभी वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि वे अधिक खरीद हेतु प्रोत्साहित हो तथा उच्च जीवन जी सके।

(ii) कालाबाजारी, जमाखोरी का अभाव :- → प्रबंधक को संस्था में वस्तुओं की कृत्रिम कमी करके मूल्य उच्च करना आदि सभी गैर-कानूनी कार्यों का सहारा नहीं लेना चाहिए।

परीक्षार्थी उत्तर

(iii) गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध करवाना :- ग्राहकों के अच्छे जीवन स्तर के विचार को ध्यान रखते हुए अच्छे व गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का निर्माण करना चाहिए जो उनके स्वास्थ्य के अनुकूल हो।

(iv) विक्रयोपरांत सेवा प्रदान करना :- प्रबंधकों को ग्राहकों को विक्रय के बाद अनेक सेवाएँ जैसे- वस्तु घर पहुँचाना, मरम्मत सेवाएँ, साख सुविधा आदि भी उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि ग्राहकों का कल्याण हो सके।

27. (i) बिक्री का विवरण (धारा 25) :- जीएसटी के अंतर्गत व्यापारियों को प्रतिमाह रिटर्न भरना पड़ेगा। इस विवरणी के अंतर्गत माह के दौरान की गई बिक्री, निर्यात, विक्रेता का नाम, तिथि, मूल्य, गुणवत्ता, आवश्यक क्रेडिट नोट, डेबिट नोट आदि को सूचना के रूप में माह की समाप्ति के 10 दिन के भीतर भरकर पेश करना अनिवार्य है।

इस बिक्री के विवरण का मिलान धारा 26 में खरीददार द्वारा प्रस्तुत खरीद विवरण से मैच किया जाएगा तथा मिसमैच आने पर व्यापारी को सूचित कर सुधार का मौका दिया जायेगा।

(ii) खरीद का विवरण (धारा 26) :- इस विवरण के अंतर्गत माह के दौरान की गई कुल खरीद, मात्रा, मूल्य, गुणवता, क्रेता

P.T.O.

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक | प्रश्न संख्या | परीक्षार्थी उत्तर

का नाम, विवरण, आयात, आवश्यक डेबिट व क्रेडिट नोट आदि की सूचना के रूप में माह की समाप्ति से 15 दिन के भीतर जमा करवाना अनिवार्य होगा।

इस खरीद के विवरण का मिलान विक्रेता द्वारा प्रस्तुत बिक्री के विवरण (धारा 2B) से किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार का मिस मैच होने पर व्यापारी को सूचित कर सुधार का मौका दिया जाएगा।

[खण्ड - द]

28. एक प्रबंधक की निर्णयात्मक भूमिका :-

(i) उद्यमी :- एक उद्यमी के रूप में प्रबंधक, संगठन में अवसरों को खोजता है, नवाचार करता है, जोखिम उठाता है, अनेक प्रकार के उत्पादों का मूल्य निर्धारण करके उसे बाजार में प्रस्तुत करने का साहस करता है तथा संस्था को गतिशील बनाए रखता है व उसका सफल संचालन करता है।

(ii) उपद्रव निवारक :- प्रबंधक, संस्था में होने वाले दिन-प्रतिदिन के झगड़ो, मनमुटावों, संघर्षो, भेदभाव आदि को दूर करने का प्रयत्न करता है तथा संगठन में शांति तथा सौहार्द के वातावरण को स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहता है।

द्वारा अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

(iii) संसाधन वितरक :- एक प्रबंधक, संसाधन वितरक के रूप में एक संस्था में मानवीय तथा भौतिक दोनों प्रकार के संसाधनों का वितरण करता है। चूंकि एक संगठन में मानवीय संसाधनों द्वारा ही भौतिक संसाधनों का संचालन होता है।

एक प्रबंधक मानवीय संसाधनों को उनकी कार्यक्षमता व योग्यता के अनुरूप अनेक से कार्य सौंप देता है तथा पूंजी, कच्चा माल, मशीनों, बड़े-बड़े संयंत्रों आदि भी उचित प्रकार से बंटवारा कर देता है।

इस प्रकार एक संसाधन वितरक की भूमिका के रूप में वह मानवीय व भौतिक दोनों प्रकार के संसाधनों का सामंजस्य बैठाता है।

(iv) वार्ताकार :- एक प्रबंधक, वार्ताकार की भूमिका के रूप में व्यवसाय के अन्य सहयोगी पक्षकारों के साथ अपना संबंध स्थापित करता है। संगठन की नीतियों व उद्देश्य, कार्यक्रम उन पक्षों के समक्ष प्रस्तुत करता है तथा उन पक्षों की नीतियों, कार्यक्रमों आदि का ज्ञान प्राप्त करके संस्था को हर प्रकार से लाभान्वित करने का प्रयत्न करता है।

इस प्रकार वार्ताकार बनकर प्रबंधक, संस्था का सफल संचालन करता है तथा संस्था में बेहतर ढंग से उत्पादन प्रक्रिया चलाता है।

P.T.O.

प्रश्न संख्या 30. परीक्षार्थी उत्तर

व्यर्थ ठहराव संबंधी 6 वैधानिक प्रावधान :-

(i) अयोग्य पक्षकारों के साथ ठहराव :- अनुबंध करने के अयोग्य पक्षकार जैसे - अवयस्क, अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति, राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति के साथ किया गया ठहराव पूर्णतः व्यर्थ है।

(ii) स्वतंत्र सहमति न होने पर :- अनुबंध के एक पक्षकार द्वारा अनुबंध करने के लिए उत्पीड़न, कपट, मिथ्यावर्णन, अनुचित प्रभाव, गलती आदि का सहारा लेकर किया जाने वाला ठहराव पूर्णतः व्यर्थ है।

- जैसे :- राम, राकेश को धमकी देता है कि वह उसे 50,000 रु दे अन्यथा वह उसे छत से फेंक देगा।

(iii) व्यवसाय के संचालन में रुकावट डालने वाले ठहराव :- भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वतंत्र रूप से व्यवसाय चलाने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के व्यापार में बाधा या रुकावट डालने का कोई ठहराव करता है तो वह ठहराव पूर्णतः व्यर्थ ठहराव माना जाएगा।

प्राप्त अंक | प्रश्न संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

(iv) अवयस्क को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव :-

→ भारत में प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार विवाह करने का अधिकार है। यदि कोई भी व्यक्ति वयस्क के विवाह में रुकावट डालने का ठहराव करता है तो ठहराव व्यर्थ माना जाएगा।

(v) जब ठहराव किसी असंभव घटना पर निर्भर हो :-

→ जब ठहराव किसी ऐसे तथ्य पर निर्भर हो जो वास्तविकता में विद्यमान न हो अथवा असंभव हो तो ठहराव व्यर्थ माना जाएगा।

o जैसे :- शोएब, राकेश को वचन देता है कि वह निशु से शादी करेगा। जबकि कुछ दिनों पहले ही निशु की मृत्यु हो गई।

(vi) बाजी के ठहराव :-

→ बाजी के ठहराव ऐसे ठहराव होते हैं जिसमें कि एक पक्षकार को लाभ तथा दूसरे पक्षकार को हानि होती है। जैसे - जुआ, सट्टा आदि। इस प्रकार के ठहरावों को जनहित की दृष्टि से अनुचित मानकर पूर्णतः व्यर्थ घोषित किया गया है।

कुछ ठहराव जो बाजी के ठहराव लगते हैं जैसे - घुड़दौड़, चिटफंड, बीमा अनुबंध आदि। परंतु ये अनुबंध अधिनियम में वैध माने गये हैं।

P.T.O.

प्रश्न संख्या 29. परीक्षार्थी उत्तर

विज्ञापन की आवश्यकता :-

वर्तमान, गला-काट प्रतिस्पर्धा के युग में एक उत्पाद का प्रभुत्व जमाने के लिए विज्ञापन बहुत अधिक आवश्यक है। इसके माध्यम से ग्राहकों को उत्पाद की पूर्णतः जानकारी उपलब्ध करवायी जाती है।

(i) नये उत्पाद की जानकारी :-

विज्ञापन के द्वारा एक उत्पादक द्वारा किसी नयी वस्तु का उत्पादन करने पर उसकी पूर्णतः जानकारी ग्राहकों को उपलब्ध करवायी जाती है। ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि उक्त उत्पाद का प्रयोग करने से क्या-क्या लाभ हैं, इसका उपयोग कैसे किया जाएगा, किन-किन स्थानों से वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है आदि विश्वस्त जानकारी उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवायी जाती है।

(ii) उत्पादन में नवीनता की जानकारी :-

किसी भी उत्पाद का रंग, मूल्य, पैकेट आदि में परिवर्तन किये जाने पर ग्राहक को विज्ञापन के माध्यम से ही इस नवीनता की जानकारी दी जाती है तथा साथ ही उपभोक्ता को वस्तु की मात्रा आदि में किये गये परिवर्तन को भी बताया जाता है। इससे ग्राहक वस्तु को खरीदते समय भ्रमित नहीं होता। उदाहरणस्वरूप, अंकल चिप्स के पैकेट में 20% की वृद्धि करना, डायना साबुन के फ्लेवर में परिवर्तन करना आदि।

द्वारा अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

(iii) मूल्य में परिवर्तन की जानकारी :- → वस्तु को उत्पादित करने में लागतों में हुये परिवर्तनों के कारण वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन की जानकारी ग्राहक को विज्ञापन के माध्यम से ही उपलब्ध करवायी जाती है ताकि उत्पाद खरीदते समय ग्राहक भ्रमित न हो।

- जैसे :- केयर एंड लवली की पैकिंग अब 75₹ से घटकर मात्र 70₹ में उपलब्ध।

(iv) उत्पाद की सही जानकारी :- → वर्तमान में एक ही प्रकार की वस्तु के अनेक ब्रांड प्रचलन में हैं जिन्हें देखकर उपभोक्ता भ्रमित हो सकता है लेकिन विज्ञापन में ग्राहकों को उत्पाद के विभिन्न-विभिन्न उपयोग, अनेक ब्रांडों के अंतर को भी समझाया जाता है।

- जैसे :- विज्ञापनों में यह बताया जाता है कि सूती वस्त्र के लिए डिटर्जेंट, ऊनी वस्त्र के लिए यह डिटर्जेंट उपयुक्त रहेगा।

इस प्रकार की जानकारी देने से उपभोक्ता विश्वासपूर्वक उपयोगी उत्पादों को खरीद सकता है।

निष्कर्ष :-

इस प्रकार अनेक प्रतिस्पर्धी तथा एकसमान उत्पादों के दौर में ग्राहक तथा उपभोक्ता वर्ग दोनों के कल्याण के लिए विज्ञापन आवश्यक है।

समाप्त